

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 38
व्यय विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	4.00	37.86	41.86	2.30	56.66	58.96	3.60	68.00	71.60	
	पूंजी	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	6.40	...	6.40	
	जोड़	10.00	37.86	47.86	5.30	56.66	61.96	10.00	68.00	78.00	
1.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	31.64	31.64	...	41.59	41.59	...	51.27	51.27
अन्य प्रशासनिक सेवाएं											
2.	राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना	2070	4.00	1.40	5.40	2.30	1.40	3.70	3.60	1.40	5.00
3.	राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान का विकास	4070	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	6.40	...	6.40
4.	सिविल लेखा संगठन प्रशिक्षण केंद्र (सरकारी लेखा और वित्त संस्थान)	2070	...	3.64	3.64	...	3.42	3.42	...	3.32	3.32
5.	एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान	2070	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.	महालेखा नियंत्रक के कार्यालय का आधुनिकीकरण	2070	...	0.35	0.35	...	0.85	0.85
7.	छठा केन्द्रीय वेतन आयोग	2070	...	0.82	0.82	...	0.39	0.39
8.	नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को सेवा प्रभार	2070	9.00	9.00	...	12.00	12.00
	कुल जोड़		10.00	37.86	47.86	5.30	56.66	61.96	10.00	68.00	78.00
ग. आयोजना परिव्यय		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	10.00	...	10.00	5.30	...	5.30	10.00	...	10.00

1. इसमें महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. यह प्रावधान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के वित्त एवं लेखा अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए है।

3. यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान की अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकता की पूर्ति के लिए है।

4. यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक द्वारा सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान देने के लिए है।
6. यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय का आधुनिकीकरण करने के लिए है।

7. यह प्रावधान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लिए है।
8. यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को सेवा प्रभारों के भुगतान पर व्यय के लिए है।